इकाई 9 समाज कल्याणः संकल्पना, दृष्टिकोण और नीतियाँ

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 समाज कल्याण की संकल्पना

9.3 समाज कल्याण दृष्टिकोण

- 9.3.1 परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण
- 9.3.2 अन्तिम परिप्रेक्ष्य
- 9.3.3 मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण
- 9.3.4 संस्थागत दृष्टिकोण

9.4 समाज कल्याण की नीतियाँ

- 9.4.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
- 9.4.2 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
- 9.4.3 अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 9.4.4 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
- 9.4.5 राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति
- 9.4.6 स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति
- 9.4.7 अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी उपाय
- 9.4.8 महिलाएँ और बाल विकास
- 9.4.9 राष्ट्रीय महिला नीति
- 9.4.10 बाल कल्याण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

9.5 निष्कर्ष

9.6 शब्दावली

9.7 संदर्भ लेख

9.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगेः

- समाज कल्याण की संकल्पना और महत्व;
- भारत में समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित सांविधानिक प्रावधानों का वर्णन; और
- भारत में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित प्रमुख नीतियाँ एवं विधि–विधान का मूल्यांकन।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

9.1 प्रस्तावना

भारत, अन्य अनेक देशों की तरह से ही अपने लोगों के कल्याण करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का संविधान कृ अपनी प्रस्तावना के माध्यम से मूल अधिकारों के प्रावधान तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों और अनेक केन्द्रीय एवं राज्य विधान–विधियों तथा राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि भारत के लोगों को व्यापक रूप से सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँ जोकि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें या उनकी पूर्तियाँ की जा सकें।"

यद्यपि कानून व्यवस्था और कर संग्रहण करना राज्य का प्राथमिक कार्य है किन्तु बीसवीं और इक्कीसवीं शताब्दी में सभी देशों के समाज कल्याण कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी विशेषकर लोकतान्त्रिक देशों में प्रमुख रूप से उभर कर आई है। वास्तव में आधुनिक राज्य यह मानते हैं कि उनको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के एक एजेंट की भूमिका को निभाना है। इस तरह से कल्याण के क्षेत्र में राज्य को प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है जिसकी मान्यता व स्वीकृति प्रथम पंचवर्शीय योजना में की गई है, जिसमें यह घोषणा की गई है कि "जैसा कि सामाजिक संरचना बहुत ही जटिल बनी हुई है, इसलिए राज्य की यह जिम्मेदारी बन गई है कि वह लोगों के कल्याण के लिए उनको सेवाएँ उपलब्ध कराने की भूमिका को निभाने के लिए उसमें वृद्धि करने की घोषणा करें उसके लिए समुचित व व्यापक कदम उठाएँ। वास्तव में, इन समाज कल्याण के कार्यों को राज्य के बढ़ते हुए स्थायी संसाधनों के द्वारा सोख लिया गया हैं। इसलिए यह सरकार के महत्वपूर्ण कार्य व जिम्मेदारी बनती है कि वह व्यक्तिगत और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भरसक प्रयास करे जिनकी अत्यंत आवश्यकता है।

9.2 समाज कल्याण की संकल्पना

सैद्धान्तिक और परिचालन के रूप में कुछ शब्दों में समाज कल्याण की संकल्पना भारत में प्राचीन परम्परा से चली आ रही है। भारत के सभी प्राचीन धार्मिक हस्तलिखित साहित्य कृ वेद, सूत्र, महाकाव्यों, स्मृतियों और धर्मशास्त्रों कृकृ जिसमें दोहा, छन्द, ष्लोक तथा व्यापक रूप से साहित्य मौजूद हैं जो कि राज्य के द्वारा कल्याणकारी प्रावधानों को लागू करने पर बल देते हैं तथा धनी–मानी लोगों से कहा गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से तथा कमजोर परिवारों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी सहायता करें। इन सबमें सम्पूर्ण समाज को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिए विशेष जोर दिया गया है।

समाज कल्याण की संकल्पना और इसके परिचालन की स्थितियाँ विभिन्न देशों में अलग–अलग तरह से पूरी की जाती है, यह सब उनके ऐतिहासिक विकास के स्तरों तथा कल्याण के लक्ष्यों को प्रमुखता दिए जाने पर निर्भर करता है और सेवाओं की आपूर्ति के लिए राज्य की संरचना के विकास पर आधारित होता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका समाज कल्याण के कार्यों को कानून की व्यवस्था तथा संस्थानों के माध्यम से इसकी परिभाषा प्रस्तुत करता है, जिसमें सरकार अपने नागरिकों के आर्थिक और समाज कल्याण के कार्यों को सुरक्षित और उन्नत करने का प्रयास करता है जो प्रायः विभिन्न सामाजिक सीमा के स्वरूप में आधारित होते हैं जिनमें बेरोजगारी, दुर्घटना, रोग, तथा वृद्धावस्था में सहायता करने के प्रावधानों को निर्मित करना और उनको लागू करना होता है। फ्रीडलैंडर के अनुसार संगठित सेवाओं और संस्थानों में शामिल और स्थित होता है जिसकी अभिकल्पना या निर्माण व्यक्तिगत तथा लोगों के समूहों को जीवन तथा स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत के संतोशजनक स्तरों को बनाने के लिए उनकी सहायता करना उनको सहयोग प्रदान करना

है तथा व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करना जिसमें उन्हें सम्पूर्ण क्षमता के साथ विकास करने के अवसर दिए जाएँ और इसके साथ ही उनके परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं के सहित सहृदयता में उनको सम्पन्न होने, उनकी संवृद्धि को उन्नत करने की अनुमति हो और सरकार का भरपूर सहयोग हो (फ्रीडलैंडर, Friedlandar, 1967)।

वेन वेसी (Wayne Vasey) टिप्पणी करते हैं कि समाज कल्याण में दो प्रमुख विशेषताएँ सम्मिलित हैं : (क) परिवार को सहयोग या शक्तिशाली बनाने के लिए कल्याण के उपायों व साधनों का प्रयोग करना एक मूल सामाजिक संस्थान के माध्यम से होता है जिसमें आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तथा (ख) व्यक्ति की क्षमता सषक्त बनाने की इच्छा व सहायता सहयोग जिसके द्वारा उसकी जीवन स्थितियों को बेहतर और सम्पन्न व्यक्ति की क्षमता सषक्त बनाने की इच्छा व सहायता सहयोग जिसके द्वारा उसके जीवन की स्थितियों को बेहतर और सम्पन्न बनाया जा सके (वेसी, Vasey, 1958)।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज के अनुसार जोकि "राष्ट्रीय विकास योजना के संदर्भ में समाज कल्याण परियोजना" पर आधारित है। समाज कल्याण "संगठित क्रियाकलापों का एक निकाय है जिसका मूल अर्थ व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को उनकी अपनी स्थितियों, बदलती स्थितियों, समायोजन करना तथा विकास के कार्यों में भागीदारी के माध्यम से उन्नतशील बनाना" समाज कल्याण की गतिविधियों के कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे स्थानीय लोग या नागरिक अपनी भागीदारी के द्वारा स्वःसहायता तथा सहायता से एक अच्छे सामाजिक वातावरण की रचना कर सकते हैं जोकि विकास की एक अच्छी स्थिति है। कुछ अन्य गतिविधियाँ या सक्रियताएँ हैं जिनका उद्देश्य सीधे ही संवेदनशील समूहों की सहायता करना है अथवा उन लोगों का जो सामाजिक स्तरों पर बहुत ही नीचे के स्थान पर स्थित हैं, उनकी सहायता करना है (गोरे और खाण्डेकर, Gore and Khandekar, 1975)।

हीवुड के अनुसार समाज कल्याण स्वास्थ्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ व्यक्ति को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाते हुए उसको उन्नत व समृद्ध बनाता है। हीवुड समाज कल्याण व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित कारणों को प्रस्तुत करते हैंः

1) यह सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय एकता का निर्माण करता है जिसमें सभी नागरिकों को समाज के अन्दर पण उपलब्ध कराता है तथा कम से कम कुछ मूल सामाजिक सहयोग सहायता की गारन्टी प्रदान करता है।

2) यह इस समझ या चेतना में स्वतंत्रता को व्यापक बनाता है जो लोगों को गरीबी से सुरक्षा प्रदान करता है और ऐसी स्थितियाँ निर्मित करता है जिनमें वे लोग विकास कर सकते हैं तथा उन्नति की संभावनाओं को महसूस कर सकते हैं।

3) यह समाज वंचना के प्रभावों का सामना करने के द्वारा अपनी समषद्धि या वैभव को सुनिश्चित करता है और उन लोगों की सहायता करता है जो अपने आपकी सहायता करने में असमर्थ या सहायता नहीं कर सकते हैं।

4) यह पुनःर्वितरणात्मक रचनातंत्र के रूप में सेवा करता है जो कि महान समानता को उन्नत करता है और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ को सषक्त बनाता है (हीवुड, Heywood, 2005)।

9.3 समाज कल्याण दृष्टिकोण

यह दृष्टिकोण एक संरचित संस्थागत अनुक्रिया को इंगित करता है या नीति के लिए ढाँचा प्रस्तुत करता है। प्रत्येक विकसित और विकासशील देश के अपने दृष्टिकोण और समाज कल्याण नीतियों और कार्यक्रमों के दृष्टिकोण और पद्धतियाँ होती हैं। उनके कल्याण करने की पद्धति यह प्रतिबिम्बित करती है कि किस प्रकार से अधिक से अधिक लोगों का कल्याण किया जा सके और उनको बेहतर तरीके से संवृद्ध किया जा सके।

हम समाज कल्याण के दृष्टिकोण को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: (1) परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण (Family-Centric Approach) (2) अन्तिम परिप्रेक्ष्य (Residual Perspective) (3) मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण (Mixed-Economy Approach) और (4) संस्थागत दृष्टिकोण (Institutional Approach)

9.3.1 परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण

यह षायद सबसे पुराना दृष्टिकोण है जिसमें समाज कल्याण प्रावधान में परिवार सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाता है। कठोर पारिवारिक बन्धन सामाजिक पूँजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए बच्चों, बूढ़ों तथा विकलांग परिवार के सदस्यों की देखभाल करने में परिवार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भारत में या फिर इंग्लैण्ड जैसे उन्नत देश में भी परिवार की संरचना को अभी तक बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है तथा बहुत सारी सामाजिक आवश्यकताएँ जहाँ अन्य देशों में सरकार के कार्य करने द्वारा पूरी की जाती है वहीं पर यह सब आवश्यकताएँ परिवार द्वारा ही पूरी की जाती हैं। एशिया के अनेक देशों में संयुक्त परिवार आर्थिक सुरक्षा के लिए मुख्य सहायक रहा है। विशेषकर बेरोज़गार बच्चों और वृद्ध परिवार के सदस्यों के लिए लगातार सहायक के रूप में बने हुए हैं।

परिवार इसलिए नीति विष्लेशक द्वारा अनुभव किया जाता है। यह हस्तक्षेप करने या बीच बचाव करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु सिद्ध हुआ है।

यह दृष्टिकोण परम्परागत सोच व ज्ञान और ठोस सामाजिक विज्ञान के सिद्धान्त पर आध ाारित है। सषक्त पारिवारिक बंधन सतत् सामाजिक सहायता के स्रोत के रूप में निश्चित किया गया है। लोक नीति विष्लेशक यह अनुभव करते हैं कि राज्य कल्याणकारी आवश्यकताओं और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए दोनों ही, परिवार का हस्तक्षेप करने का महत्वपूर्ण बिन्दु है।

परन्तु परिवार दृष्टिकोण की कुछ सीमाएँ हैं। इनमें से एक यह कि विस्तारित परिवार व्यवस्था जोकि शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ पर यह नश्ट होने के कगार पर है। दूसरा परिवार में जेन्डर की भूमिका को नहीं देखा जाता है। तीसरा वित्तीय तथ्य भौगोलिक मुद्दे परिवार के दृष्टिकोण पर सार्वभौमिक विश्वास की बाधा डालते हैं।

9.3.2 अन्तिम परिप्रेक्ष्य

अन्तिम दृष्टिकोण को अंतिम आश्रय के रूप में सरकार द्वारा कल्याणकारी प्रावधानों को लागू करना माना गया है। इस विचार का यह आधार है कि लोग अपनी समस्याओं को स्वयं ही हल कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति अपनी सहायता के लिए परिवार, बाजार (विशिष्ट बीमा) या फिर ग़ैर–सरकारी संगठनों से माँग कर सकता है, उनसे प्राप्त कर सकता है। सरकार सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसी समय कदम उठाएगी जब गरीब व्यक्ति अपनी समस्याओं को हल करने में या उनका समाधान निकालने में असमर्थ रहेगा। इस संदर्भ में केवल गरीबों को अंतिम उपाय के लिए लोक प्रावधानों को बनाएगा जो केवल बीमारों, बेरोजगारों, लोगों को व्यवस्थित करने और अन्य गरीब लोगों के हितों के लिए होंगे।

अन्तिम दृष्टिकोण केवल कुछ ही देशों में लागू किया गया है। इसकी अनेक सीमाएँ हैं जिसके कारण बहुत कठिनाई से इसका लाभ मिलता है, इनमें से सबसे प्रमुख हैं "साधनों" या पात्रता की जाँच में सफल होना। सबसे पहले यदि आवासीय शर्त की आवश्यकता है तो इसको पूरा करना कठिन हो जाता है क्योंकि संघीय व्यवस्था में योजनाओं का लाभ देने के लिए लाभार्थियों को उनके विशिष्ट "राज्य" या "प्रादेशिक" आवासीय प्रमाणपत्र की आवश्यकता अनिवार्य होती है। अन्तिम दृष्टिकोण में कुछ मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है जैसे कि आवासीय कमियाँ। इस दृष्टिकोण में लाभ बहुत ही कम गरीब लोगों को मिलता है जो थोड़ी बहुत पात्रता भी रखते हैं उनको लाभ देने में हतोत्साहित किया जाता है।

9.3.3 मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण

इंग्लैण्ड और जर्मनी सहित कुछ देशों में समाज कार्य के सीमित क्षेत्रों में मिश्रित–आर्थिक दृष्टिकोण को लागू किया हुआ है। उदाहरण के लिए, जर्मन समाज बीमा व्यवस्था के माध्यम से सरकार, समाज, प्रशासकों, बैंकों, फर्मों और व्यक्तिगत उद्यमियों के बीच सहयोग–सहायता के लिए एक बहुत ही सफल मंच का निर्माण किया हुआ है। इस प्रकार से बीमा की व्यवस्था के लाभों को व्यक्तिगत आय व अर्जन से जोड़ा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप वंचितों को ढेर सारी आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति की जाती है।

इस मॉडल में लोक या सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र मिल कर बहुत ही सक्षम तरीके से कल्याणकारी नीतियों में नौकरशाही केन्द्रित परिचालन की तुलना में बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन कार्य करते हैं। हालाँकि, इस दृष्टिकोण में अत्यधिक प्रमुख सीमाएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप बहुत सारे देशों में लोक निजी भागीदारी की व्यवस्था को बेहतर संभावित तरीकों से इसका संचालन करने में सफल नहीं हुए हैं।

9.3.4 संस्थागत दृष्टिकोण

यह मानकीय दृष्टिकोण है, समाज कार्य इस विश्वास पर आधारित है कि सामूहिक अनुक्रिया व सहयोग तथा संसाधनों को एकत्रित किए बिना इन कार्यों की उन्नति नहीं की जा सकती है। कल्याणकारी कार्य, इस दृष्टिकोण के अनुसार समस्त जनसंख्या की लोक सेवाएँ उपलब्ध कराकर पूरी की जा सकती है जैसे कि सार्वजनिक मार्गों का निर्माण तथा विद्यालयों की स्थापना करना। इस दृष्टिकोण को संपूर्ण संतुश्टिकरण मॉडल के रूप में भी वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए एक विशिष्ट सामाजिक समूह के लिए निश्चित किया गया है जिसमें इस कार्यक्रम का लाभ केवल कमजोर वर्गों को ही मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था सम्पूर्ण विश्व में इस मॉडल के अंतर्गत की गई है।

संस्थागत दृष्टिकोण देखनें में सुरूचिपूर्ण लगता है किन्तु अनेक लोग इस दृष्टिकोण के लिए अपने सहयोग में विस्तार नहीं करते हैं और न ही वे अपने संसाधनों का एकत्रीकरण करते हैं जैसा कि अन्य सामुदायिक कार्यों के लिए कार्य करते हैं। व्यवहार में संस्थागत दृष्टिकोण जो समाज कल्याण से जुड़ा है, इसमें सम्पूर्ण लोक सहयोग की कमी है जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देना।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) समाज कल्याण को संकल्पना के परिभाषित कीजिये और इसके महत्व की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2) समाज कल्याण के विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा कीजिए।

.....

.....

.....

9.4 समाज कल्याण की नीतियाँ

भारतीय संदर्भ में समाज कल्याण की नीतियाँ केन्द्रीय और राज्य की नीतियों को मिलाकर की जाती है जो विधायी अधिनियमों पर आधारित होती हैं। यह लोगों की सहायता (विशेषकर जो लोग समुदाय के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित होते हैं) करने के लिए पारित की गई हैं जो लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की अपेक्षा करते हैं, उनकी पूर्ति की जाती हैं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि "समाज कल्याण" के शब्द सीमित या प्रतिबन्धित अर्थ में ही प्रयोग किए जाते हैं। समाज कल्याण की नीतियों को सामाजिक रूप से पद्दलित समूहों के लिए ही लागू किया जाता हैं। जैसे कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, ग़ैर–अधिसूचित समुदाय, अनाथ, विधवा, अविवाहित माँ, नैतिक भय से पीड़ित, वृद्ध और असफल व्यक्ति, महिला और बच्चे, सामाजिक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति, भिखारी, वेष्याएँ, अपराधी या अपचारी, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग, रोगी, मानसिक रूप से मन्दबुद्धि या रोगी और उच्च जाति के लोगों में से आर्थिक रूप से पिछड़े, आश्रयहीन तथा बेरोजगार लोगों को सम्मिलित किया गया है। इस तरह के समूहों के लिए समाज कल्याण के कार्यक्रम उनके दुखों को कम करने की दिशा में उनकी सहायता करने के लिए आवश्यक है।

9.4.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Castes and Scheduled Tribes - SCs & STs) की संरक्षाओं की प्रकृति में अनेक प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस तरह से निम्नलिखित दो अधिनियमों को पारित किया गया है जो विशेष रूप से (i) अस्पष्यता का निरोध और (ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर पाबन्दी और नियंत्रण करने के लिए विशेष उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं। इस तरह से ये इनके सामाजिक उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Rights Act, 1955): यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत मूल अधिकारों के संदर्भ में पारित किया गया है। इस अधिनियम का अधिकारक्षेत्र संपूर्ण भारत और राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

यह अधिनियम और नियम, किसी भी रूप में अस्पष्यता का प्रचार–प्रसार या व्यवहार करने से सम्बन्धित विभिन्न अपराधों की श्रेणियों के लिए दण्ड के स्तरों का निर्धारण करते हैं। इन अपराधों के दण्ड निश्चित हैं जिसमें जेल की अवधि तथा आर्थिक दण्ड सम्मिलित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी व्यक्ति या समूह द्वारा चाहे वह ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक,

दार्षनिक, सांस्कृतिक या धार्मिक आधारों अथवा फिर किसी अन्य आधार पर की गई अस्पष्यता का व्यवहार करने और उसके सिद्ध होने पर उसे अपराधी करार दिया जाएगा। अस्पष्यता के व्यवहार को बार–बार करने पर अपराधी को कठोर दण्ड देने का प्रावधान रखा गया है।

I. **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989):** इसे (अत्याचार निवारण) अधिनियम (Prevention of Atrocities Act – PoA Act) भी कहते हैं, यह सन् 1990 में लागू हुआ है। इस विधान का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों पर रोकथाम, उन पर पाबन्दी लगाना तथा अपराधी को दण्ड देने के लिए पारित किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यापक रूप से नियमों को बनाया गया है जो इससे संबद्ध हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पीड़ित करने पर उनको राहत देने और उनके पुनर्वास करने के लिए प्रावधानों के मानकों को निर्धारित करते है।

II. **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना**

उपर्युक्त दो अधिनियमों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। यह संविधान के अनुच्छेद 383 के तहत स्थापित की गई जो सन् 1990 में दो राष्ट्रीय आयोगों में विभाजित कर दिया गया था। यह 89वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगों को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित किए गए हैं। इन दोनों राष्ट्रीय आयोगों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अलग–अलग तरह से संरक्षण करने और इन पर होने वाले अत्याचारों की निगरानी करते हुए संरक्षण प्रदान करने और अपराधियों को दण्ड दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों राष्ट्रीय आयोगों पर इनके कल्याण के लिए तथा इनके मुद्दों के पुनर्रीक्षण करने का कार्य भार भी है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ आरंभ की गई हैं जैसे कि मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियाँ, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, राजीव गाँधी राष्ट्रीय फैलोषिप शामिल हैं। लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में के.जी. से लेकर पी.जी. तक के स्तर के लिए होस्टल सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं इसी तरह से इनके अनुपूरक में केन्द्रीय योजनाओं के द्वारा भी अनुदान भत्ते उपलब्ध कराए गए हैं ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की देखभाल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उनके खर्च वहन किए जा सकें।

अनेक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना की गई है, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation) तथा एक राष्ट्रीय सफारी अभिचेयर वित्त और विकास निगम (National Safari Armchairs Finance and Development Corporation) की भी स्थापना की गई है। अनुसूचित जातियों को विस्तारित वित्तीय सहायता तथा आधारित मूल पूँजी की सहायता देने के लिए जोखिम पूँजी फंड और क्रेडिट विस्तार गारन्टी योजना (Venture Capital Fund and a Credit Enhancement Guarantee Scheme) भी लागू की गई है। ताकि वे अपने उद्यम स्थापित कर आरंभ कर सकें अथवा उद्योगों के जोखिमों को साहसपूर्व उठाते हुए अपनी उन्नति कर सकें।

9.4.2 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

सन् 1999 में सामाजिक न्याय और प्राधिकार मन्त्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) से अलग आदिवासी कार्य मन्त्रालय (Ministry of Tribal Affairs) की स्थापना की जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके, समाज के अत्यधिक पद्दलित समन्वित तथा योजनागत तरीके से विकास करने का लक्ष्य है। अनुसूचित जनजाति के लोग अन्य समुदायों से अलग निकटस्थ क्षेत्रों में रहते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इनकी भूमि को अन्य लोगों द्वारा अधिग्रहण करने से रोकने तथा अन्य सामाजिक कारकों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में "अनुसूची पाँचवी और अनुसूची छठी" के प्रावधानों को लागू करना भी इसका उद्देश्य है। संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत पाँचवी अनुसूची में "अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas)" की परिभाषा दी गई है, इस प्रकार के क्षेत्रों के निर्माण के लिए राष्ट्रपति अपनी शक्ति से आदेशों की घोषणा कर सकते हैं, ये क्षेत्र "अनुसूचित क्षेत्र हैं, इसके लिए सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा भी किया जा सकता है। इसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची का निर्माण किया गया है, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के क्षेत्रों को इसी अनुसूची में शामिल करते हुए "आदिवासी क्षेत्रों" (Tribal Areas) की घोषणा की गई है, और इस प्रकार के आदिवासी क्षेत्रों के लिए जिला परिशद अथवा क्षेत्रीय परिशदों की घोषणा की गई है जो इन आदिवासी क्षेत्रों की निगरानी और देखभाल का कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों/आदिवासियों के कल्याण को ध्यान में रखना है। विशेष बात यह है कि इन परिशदों को व्यापक सीमाओं में विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ताकि ये अपना कार्य निष्पादन स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989): जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि इस लोक सेवा का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकना, उनका निवारण करना है। इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र और परिचालन की सीमाएँ जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के सम्बन्ध में निर्धारित की गई हैं उसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी लागू होंगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग (National Commission for Scheduled Tribes - NCST) की स्थापनाः संविधान में संशोधन करके सन् 2004 में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग से आयोग की स्थापना की गई है। इस आयोग का मुख्य कर्त्तव्य है कि अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से सभी सम्बन्धित मामलों की जाँच, निगरानी तथा मूल्यांकन करना; इसके साथ ही अनुसूचित जनजातियों के पदत्त अधिकारों और उनके सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर या अत्याचार होने पर किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर उसकी समुचित जाँच करना तथा उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए समुचित कदम उठाना है।

इस आयोग के अतिरिक्त अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की गति निर्धारित करने के लिए सन् 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation) की स्थापना की गई ताकि लक्षित समूहों को कौशल और उद्यमिता का विकास करने केलिए अनुदान के

रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही एक परिसंघ भी बनाया गया जिसका नाम भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Ltd.) (1987 में स्थापित) की स्थापना की गई है जोकि आदिवासी या जनजाति उत्पादनों के विकास और उनके (प्राकृतिक तथा जैव उत्पादों, हाथकरघा इत्यादि) विपणन के कार्यों को पूरा करती है और अपने द्वारा बाजार या अन्य दुकानों के माध्यम से सीधे उत्पादों को बेचने का कार्य करती है।

अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए भी योजनाएँ बनाई गईं हैं तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वरोजगार अवसरों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में माइक्रो–केड्टिस योजना आरंभ की गई है। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययन और उत्तर–स्नातक अनुसंधान कार्यक्रम जिससे विदेशों में अध्ययन कर सकते हैं, इसके लिए योजना के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जनजाति कार्य मंत्रालय भी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए समुचित शैक्षिक संरचनाएँ उपलब्ध करा रहा है तथा जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अनेक प्रोत्साहनों के साथ छात्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध करा रही है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act, 2006) के पारित होने के पश्चात् अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पारम्परिक रूप से रहने वाले लोगों के लिए, उन्हें वन अधिकार दिए गए हैं, तथा उनको वन भूमि या जंगल की भूमि में अपने स्वयं के काम धन्धे करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

9.4.3 अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (Second Backward Classes Commission) (जिसे सामान्यतः मण्डल आयोग (Mandal Commission) के नाम से जाना जाता है) की स्थापना की जिसने अपनी रिपोर्ट सन् 1980 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर सन् 1993 में भारत सरकार ने सिविल पदों तथा केन्द्र सरकार की सेवाओं में खाली पदों की भर्ती के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों और विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में भी अध्ययन के लिए प्रवेश और रोजगार के लिए रिक्त पदों को भरने में भी आरक्षण देने की योजना का विस्तार कर दिया गया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (National Backward Classes Finance and Development Corporation - NBCFDC)

सन् 1992 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई, इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लाभ के लिए आर्थिक उन्नति तथा विकासात्मक गतिविधियों और इन वर्गों के सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना और उनके कौशलों को विकसित करने एवं स्व–रोजगार कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी तय करते हुए उनकी सहायता करना है।

शैक्षिक सषक्तीकरण (Educational Empowerment)

इनके लिए अनेक योजनाएँ बनाई गई हैं जैसे कि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को दसवीं कक्षा से पूर्व और दसवीं कक्षा के पश्चात् छात्रवषत्तियाँ, राष्ट्रीय फेलोषिप एवं ब्याज मुक्त सहायता अवार्ड की व्यवस्था की गई है। डी.नोटीफाइड जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय योजना के अनुसार उन्हें हॉस्टल की व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं जो अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनको सेकेण्डरी और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं।

9.4.4 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत अषक्त और विकलांगता के आधार पर इस तरह के व्यक्ति के साथ भेदभाव करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इस तरह के विकलांग व्यक्तियों को संविधान के द्वारा सभी अधिकारों को प्राप्त करने की गारन्टी दी गई है।

विभिन्न नीतियों, मुद्दों तथा लाभदायक पहल या प्रयास के ऊपर ध्यान केन्द्रित करने के विचार के साथ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और उनका सषक्तीकरण करने के उद्देश्य से एक अलग सामाजिक न्याय और प्राधिकार मन्त्रालय द्वारा विकलांग कार्य विभाग की स्थापना सन् 2012 में की है। यह विभाग अब विकलांगत और विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों के लिए नोडल एंजेसी का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिकत यह विभिन्न पणधारियों के बीच निकट सहयोग व सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य कर रहा है। ये केन्द्रीय मन्त्रालय राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, गैर–सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ विकलांगता के मामले इसमें सम्मिलित हैं। अतः भारतीय संविधान कुछ अषक्तताओं व विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के हितों को सुरक्षित और संरक्षता उपलब्ध कराता है।

संविधान का अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अषक्तता या विकलांगता के मामलों में कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदत्त करता है। इसके अतिरिक्त संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ, पंचायतों और नगरपालिकाओं को अलग–अलग शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदत्त करती हैं कि समाज के अन्य गरीब वर्गों के साथ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं उनकी संरक्षा के साथ आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उनके लिए बनाई गई योजनाओं को लागू करना और उनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी प्रदान करना है। केन्द्रीय स्तर पर अनेक संविधियों को पारित किया गया है जिनका उद्देश्य विकलांगता की विशिष्ट श्रेणियों के सहित विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास और उनका कल्याण करना है। विकलांग व्यक्तियों का सषक्तीकरण विभाग सभी केन्द्रीय योजनाओं की निगरानी करने के लिए विकलांग से सम्बन्धित कानून बनाने के लिए प्रयासरत है।

भारतीय पुनर्वास परिशद (Rehabilitation Council of India - RCI) : यह एक सांविधानिक निकाय है तथा यह केन्द्र सरकार का सर्वोच्च निकाय है जो विकलांग, पद्दलितों और विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले समुदायों को ध्यान में रखते हुए व उनको लक्षित करते हुए इसका नियामन किया जाता है। यह परिशद अपने पास एक केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्ट्रर को रखती है जिसके अन्दर इस क्षेत्र से सम्बन्धित सभी योग्यता प्राप्त व्यावसायिकों के मुख्य दस्तावेजों के विवरण को इसमें दर्ज करती है, जब आवश्यकता होती है, इन्हें बुलाया जाता है और उनसे सम्बन्धित सेवाएँ प्राप्त की जाती हैं।

9.4.5 राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति

वर्तमान राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति (National Policy on Older Persons - NPOP) की घोषणा सन् 1999 में की गई थी, इसे सरकार के दष्ढ़ निश्चय को फिर से दोहराया गया था कि वृद्ध जनों की खुषहाली को निश्चित किया जाए। राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति राज्य सहयोग पर

ध्यान देती है और वित्तीय तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय एवं वृद्ध जनों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, विकास में समान हिस्सा, दुर्व्यवहार तथा षोशण के विरुद्ध संरक्षण और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रावधानों को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय वृद्ध जन नीति का प्रथम उद्देश्य वृद्ध जनों के परिवारों को उनके वृद्ध परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के लिए उत्साहित करना, इनकी सेवा के लिए तैयार करना और स्वैच्छिक तथा ग़ैर–सरकारी संगठनों से परिवार के द्वारा अनुपूरक सेवाएँ लेने के लिए कहना और इसके साथ ही समुचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ वृद्ध जनों को उपलब्ध कराने में सहायता करना है।

9.4.6 स्वापक औषधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति

भारत में स्वापक औशधि द्रव्य का युवाओं द्वारा व्यसन एक गंभीर समस्या बन गई है विशेषकर कुछ शहरी क्षेत्रों के भागों में इसकी भयानकता देखी जा सकती है। भारत एक पारगमन बिन्दु है और इसी तरह से स्वापक औशधि द्रव्यों के लिए निवास स्थान है। केन्द्रीय मन्त्रालयों के एक तत्कालीन सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 7 करोड से अधिक लोग स्वापक औशधि द्रव्यों के व्यवसनी हैं। समस्या की गंभीरता को समझते हुए सामाजिक न्याय प्राधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) के सहित सभी हितधारकों से सलाह मशवरा करते हुए केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Policy - NDPS Policy) का निर्माण किया। स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति को भारत की नीति के रूप में प्रसारित किया गया, उसकी जानकारी दी गई। इस तरह से स्वापक औशधि द्रव्य और मनःप्रभावी मादक द्रव्य नीति को भारत सरकार में विभिन्न मन्त्रालयों, संगठनों और राज्य सरकारों के मन्त्रालयों व संगठनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं ग़ैर–सरकारी संगठनों के लिए मार्गदर्शन का काम लिया जाता है। व्यापक रूप से भारत की यह प्रतिबद्धता है कि समग्रता के साथ स्वापक औशधि द्रव्यों के जोखिम या संकट का डट कर सामना करें। कानूनी उपायों के अतिरिक्त मनःप्रभावी मादक द्रव्य संकट की रोकथाम करने के लिए समाज आधारित उपायों और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों की अत्यंत आवश्यकता है।

9.4.7 अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी उपाय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि "अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित किया जाएगा और उनकी विशिष्ट भाषा, संस्कृति को मान्यता प्रदान करते हुए उनकी रूचि व इच्छा के अनुसार शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना और उनके प्रशासन के अधिकार होंगे।" संविधान के अनुच्छेद 350 और 350 (ख), यह अधिकार देते है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से, अनुच्छेद 347 तथा 360(क) सांविधानिक सुरक्षा व शिक्षा एवं भाषागत अल्पसंख्यक समूहों को शिक्षा और भाषा के अध्ययन करने का अधिकार देता है।

छः धार्मिक समूहों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध जरतुस्ती (पारसी) और जैन धर्म के लोगों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (National Commission for Minorities (NCM) Act) , 1992 के प्रावधानों के अनुसार, इनको अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। संघीय सरकार और राज्यों सरकारों ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक निम्नांकित उपाय किए हैं। जनवरी 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना की जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लाभों या हितों के लिए समस्त नीति नियोजन, संयोजन या समन्वयन मूल्यांकन नियमायक विकास कार्यक्रमों में

मुख्य भूमिका निभाने तथा उनसे सम्बन्धित दृष्टिकोण पर ध्यान केन्द्रित करना निश्चित किया गया था। मंत्रालय को अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित सांविधानिक कानूनों पर प्रशासन करने और उनको लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है।

9.4.8 महिलाएँ और बाल विकास

महिलाएँ इस देश की जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा हैं। ये पुरुशों की तुलना में बहुत सारी असुविधाओं से पीड़ित होती हैं जैसे कि साक्षरता दर, श्रम भागीदारी औसत और कमाई या अर्जन करना इत्यादि। प्रथम से पाँचवीं पंचवर्शीय योजनाओं की अवधि में महिलाओं और बाल विकास के कार्यों को कल्याणकारी विषयों के तहत रखा गया था। असुविधा भोगी समूहों के कल्याण के साथ संबद्ध कर दिया गया था जैसे कि निराश्रय या दीन–हीन, विकलांग वृद्धजन इत्यादि लोगों के साथ जोड़ दिया गया था। द्वितीय पंचवर्शीय योजना तक यह कार्यनीति लगातार चलती रही थी, इसमें महिलाओं की शिक्षा तथा सुध ाारात्मक सामग्री के उपायों एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई थी।

छठी पंचवर्शीय योजना में महिला के "कल्याण" से "विकास" के दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया था। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार के तीन प्रमुख क्षेत्रों में विशेष रूप से बल दिया गया था। इस तरह से सातवीं पंचवर्शीय योजना में लाभकारी मूलक स्कीमों पर विशेष ध्यान देते हुए उनके आर्थिक तथा सामाजिक स्तर की उन्नति पर अधिक बल दिया गया था। साथ ही कुषल एवं अकुषल रोजगार को समुचित शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनकी आय को वृद्धि करने पर बल दिया गया था। आठवीं पंचवर्शीय योजना के उद्देश्यों में एक यह उद्देश्य था कि यह निश्चित किया जाए कि विकास का लाभ महिलाओं तक पहुँचना चाहिए ताकि महिलाएँ विकास प्रक्रिया में समान ढाँचे और भागीदारी के रूप में उनके समान कार्य करने में समर्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त "महिला सषक्तीकरण" पर विशेष बल दिया गया तथा नौंवी पंचवर्शीय योजना में "महिलाओं की संघटक योजना" पर कार्य किया गया और सन् 2007 में जेन्डर बजट प्रस्तुत किया गया था।

महिलाओं और बाल विकास के आरंभ से लेकर, इनके लिए सर्वोपरि महत्व को ध्यान में रखते हुए सन् 2006 में एक अलग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) की संघीय स्तर पर स्थापना की गई, इसको महिलाओं और बच्चों के अधिकारों, उनकी चिन्ताओं का हल करने की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही उनकी व्यापक रूप से उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास तथा भागीदारी को निश्चित करना है। इसके साथ ही विषय से सम्बन्धित कार्यों को पूरा करते हुए अन्य मन्त्रालयों तथा एजेंसियों के साथ संविधियों को तथा नीतियों को लागू करना और समन्वयन करने की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी।

9.4.9 राष्ट्रीय महिला नीति

सन् 2018 में राष्ट्रीय महिला नीति (National Policy for Women) की घोषणा की गई, इससे यह अपेक्षा की गई है कि यह सतत् जीवन चक्र और शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय–निर्माण तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार तथा उनके लिए सहज–सरल वातावरण का निर्माण करने के मुद्दों से सम्बन्धित व्यापक वरणक्रम को सम्मिलित करते हुए इन पर महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर सरकार की कार्रवाई पर मार्गदर्शन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है।

9.4.10 बाल कल्याण के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम

बच्चे (0–18 तक आयु) देश के विकास की सम्पत्ति होते हैं। इनको नियोजित तरीके से पोषित करने की आवश्यकता होती है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इनके पालन–पोषण के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय ने बाल विकास के लिए अनेक कार्यक्रम और पहल आरंभ की है। इनमे से कुछ महत्वपूर्ण निम्न प्रकार से हैंः

राष्ट्रीय बाल नीति (2013)

भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय बाल नीति (National Policy for Children - NPC) को सन् 2013 में स्वीकार किया है। राष्ट्रीय बाल नीति ने सरकार की प्रतिबद्धता को बच्चों के अधिकारों के अनुभव करते हुए इस पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया है। इसमे अपने के मूल्य के साथ बचपन को जीवन का एक अभिन्न अंग होने की मान्यता दी है। राष्ट्रीय बाल नीति ने प्रत्येक बच्चे के अकाट्य अधिकारों के रूप मे उनकी उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा विकास, संरक्षण और भागीदारी के अधिकारों की पहचान की है और इनको प्रमुख प्राथमिकता के क्षेत्रों के रूप में भी घोषित किया है जिसमें कि सरकारी और ग़ैर–सरकारी संगठनों व एजेंसियों के द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है।

सरकार ने बाल दुरुपयोग या अपराधों के केसों से निपटने के लिए एक विशेष कानून बनाया है। यह "बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012 है। "यह अधिनियम अपराधियों को कठोर दण्ड देने के प्रावधान प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न अवधियों के अनुसार साधारण कारावास से लेकर कठोर दण्ड देने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of Child Rights - NCPCR) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (State Commissions for the Protection of Child Rights - SCPCRs) के अनुसार प्राधिकृत पदनामित किया है जिसे इस अधिनियम की निगरानी तथा उसके कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राष्ट्रीय पोषण नीति

राष्ट्रीय पोषण नीति (National Nutrition Policy) को सन् 1993 में सूत्रबद्ध किया था इसकी पूर्ति करने या इसके अनुसार सन् 1995 में राष्ट्रीय कार्य योजना (National Plan of Action) को विकसित किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना की पहचान कुपोषण का सामना करने व उससे निपटने के लिए समन्वित कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए सरकार में विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई।

शिशु और किशोर बालकों के पोषण व्यवहार को उन्नत करने के लिए आई.एम.एस. अधिनियम के अनुसार समुचित पोषण करने और कार्यान्वयन करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और इसको पूरा करने के लिए अपने हाथ में लिया है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय में खाद्य और पोषण बोर्ड भी स्थापित है जोकि नीति–निर्माण, कार्य नीतियाँ विकसित करने एवं हमारे देश के लोगों के पोषणात्मक स्तर व स्थिति को सुधारने के लिए नवीनतम उपायों व साधनों की पहचान का कार्य कर रहा है।

व्यापक अंगीकरण (दत्तक) सुधार

किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act), 2015 के अंतर्गत 2017 में विनियमन अंगीकरण (Adoption Regulations) करके अधिसूचित किया गया है, इसमें केन्द्रीय अंगीकरण (दत्तक) संसाधन प्राधिकरण (Central Adoptions Resource Authority - CARA) में ऑन–लाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है, इसके अनुसार भारत में कहीं पर भी जब बच्चे को अंगीकरण (दत्तक) करते हैं तो इसमें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। केन्द्रीय अंगीकरण (दत्तक) संसाधन सूचना और मार्गदर्शन व्यवस्था (Central Adoption Resource Information and Guidance System - CARINS) कानूनी अंगीकरण (दत्तक) प्रक्रिया के लिए केन्द्रीय अंगीकरण (दत्तक) संसाधन प्राधिकरण की एक मात्र सरकारी पोर्टल व्यवस्था है। अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी बच्चे का गैर–कानूनी रूप से अंगीकरण (दत्तक) करने की स्थिति में इस अपराध के लिए दण्डित किया जाएगा। यह अधिनियम बच्चों के लिए समुचित संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए उनके हितों व लाभों के अधिकारों को सुरक्षित करता है।

समग्रता बाल विकास

बच्चों के समग्रता विकास के लिए मन्त्रालय ने एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services - ICDS) कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है जिसको हम आँगनवाड़ी सेवाएँ भी कहते हैं जिसका संचालन मन्त्रालय कर रहा है जोकि सन् 1975 से अस्तित्व में है। यह सेवाओं का एक पैकेज है जिसमें अनुपूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवाएँ तथा पूर्व विद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का समावेष किया गया है जिसका उद्देश्य 0–6 वर्ष के आयु समूह में बच्चों के पोषणात्मक तथा स्वास्थ्य स्तर का सुधार करना है। हाल ही में कुछ समय पूर्व में मन्त्रालय ने एक प्रमुख नीति के आरंभ करने का कार्य अपने हाथ में लिया है जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवाओं का सार्वजनिकीकरण करना सम्मिलित है तथा किशोर बालिकाओं (11–18 वर्ष तक) के लिए पोषण कार्यक्रम आरंभ किया है। बाल अधिकारों के संरक्षण करने के लिए आयोग की स्थापना की है और घरेलू अत्याचारों से महिलाआ संरक्षण अधिनियम को पारित किया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सन् 2016 में राष्ट्रीय बाल कार्य योजना (National Plan of Action for Children - NPAC) को प्रस्तुत किया है जिसमें चार प्राथमिकता क्षेत्र सम्मिलित हैं उत्तरजीवितता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, संरक्षण और भागीदारी शामिल हैं। मन्त्रालय यह भी प्रयास कर रहा है कि महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों में गैर–सरकारी संगठनों को और अधिक प्रभावी रूप से सम्मिलित किया जाये।

आपदाओं में लोगों का कल्याण

आपदाओं के कारण लोग बेहद प्रभावित हैं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, भूकम्प, सूखा पड़ना, भूस्खलन, भयंकर आग लगना, बड़ी दुर्घटनाएँ इत्यादि होने पर तुरंत बचाव की आवश्यकता होती है तथा बचाव, राहत और दीर्घकालीन सहायता के लिए राज्य से कानूनी दावा किया जा सकता है आर इन सबकी पूर्ति के लिए माँग की जा सकती है। आपदा प्रबन्धन अधि ानियम (Disaster Management Act), 2005 एक कानूनी संरचना उपलब्ध कराता है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (National Disaster Response Fund - NDRF) और राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (State Disaster Response Fund - SDRF) ये दोनों अधिसूचित आपदा की घटना होने पर राहत और बचाव पर होने वाले खर्चों को पूरा करते हैं, इनका परिचालन अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। राहत में उत्तरजीवितता के मदों को

शामिल किया जाता है जिसमें खाद्य सामग्री, पेय जल, स्वास्थ्य, चिकित्सा सहायता, वस्त्र वितरण, आश्रय उपलब्ध कराना इत्यादि होते हैं। यह राहत सामग्री और अन्य सेवाएँ कुछ सप्ताहों/महीनों तक उपलब्ध कराई जाती हैं जब तक आपदा पीड़ित लोग सामान्य स्थितियों में वापस नहीं आ जाते हैं, राहत और सेवाएँ तदर्थता के आधार पर होती हैं। राज्य सरकार की यह प्राथमिकता और कर्त्तव्य होता है कि अपनी जिम्मेदारी के साथ राहत और बचाव कार्यों का तुरंत ही निष्पादन करें। राज्य के जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह आपदा की स्थिति में आपातकालीन उपायों को तुरंत लागू करें और पीड़ितों को तुरंत राहत व सहायता सेवाएँ उपलब्ध कराएँ। ग़ैर–सरकारी संगठन जैसे कि रेड क्रास राहत आर पुनर्वास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1) भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन–कौन से कार्य सम्पन्न किए गए हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बच्चों की समग्रता विकास की दिशा में किए गए उपायों की सूची बनाएँ।

.....

.....

.....

.....

.....

9.7 निष्कर्ष

भारत के संविधान की प्रस्तावना और मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त भारत के कल्याणकारी राज्य होने और इस पर अपनी प्रतिबद्धता के अकाट्य प्रमाण व साक्ष्य प्रस्तुत करता है। सफल सरकारें इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस सम्बन्ध में विशेष कर न्यायपालिका सम्बन्धित विधि विधानों और कार्यक्रमों की उदार समीक्षा और व्याख्या करने में प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं, यही मुख्य कारण है कि कल्याण–मूलक सांविधानिक प्रावधानों के उद्देश्यों को सुनिश्चित करते हुए उनको व्यावहारिक और वास्तविक रूप में परखा गया है।

एक भय और आषंका बनी हुई थी कि भारत में सन् 1991 में उदारीकरण का उद्गम या अपनाने के पश्चात् राज्य गरीबों और हशिये पर पड़े लोगों के प्रति कल्याणकारी प्रतिबद्धता को वापस कर लिया जाएगा। परन्तु इस भय के विपरीत संघीय सरकार और इसकी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने कल्याणकारी कार्यक्रमों का, इसके विपरीत तीव्र

गति से कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन किया है। वास्तव में, जो नया नुस्खा ग्रहण किया गया है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था के संवर्द्धन के कारण उसमें कल्याणकारी कार्यों को एक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है और यही कारण है कि कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए अपने बजट सम्बन्धी धनराशि में वृद्धि करके इसका निर्वाह किया गया है। एक और अन्य दबाव वाला कारण यह है कि राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हुई है और वे जनता के बीच इन दलों की प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए लोगों के समक्ष बहुत ही लुभावनी योजना/उदारता की मुक्त लाभकारी योजनाओं को प्रस्तुत करते हैं जो कल्याणकारी राज्य की दिशा में बेहतर होती है। एक मुक्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सावधिक चुनाव करना भी इस पद्धति को गति प्रदान करता है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका आजकल प्रयोग किया जा रहा है जैसे कि गरीबों को मुफ्त में गैस चूल्हा देने के लिए योजना बनाना और उनको देना, निःशुल्क विद्यालय तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को लैपटॉप व साइकिलें देना, आर्थिक सहायता के रूप में कुकिंग गैस देना, व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (उदाहरण के लिए पी.एम.जे.वाई.) केवल 5 रुपये में निशुल्क सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन, मुफ्त में मोबाइल फोनों का वितरण करना, ग्राइन्डर्स एवं रसोई का सामान देना, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भुगतान की गई फीस राशि को वापस उनको लौटाना या देना, भूमि का दान करना (कुछ एक मामलों में), गरीबों और मलीन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क घर बनाने की जगह, पक्का घर बना कर देना, विवाह में होने वाले पूरे खर्चों को बेटी वालों को देना, त्यौहारों के अवसरों पर मुफ्त में घरेलू सामान देना, उपर्युक्त दिए गए उदाहरण बहुत कम हैं, इससे भी अधिक दान–अनुदान राज्य सरकारों के द्वारा वितरित किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में बहुत सारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इस तरह की योजनाओं के निपटारण की गति तेजी से बढ़ती जा रही है। परम्परागत कल्याणकारी योजनाएँ जैसे कि पेंशन देना, इसकी राषि में वृद्धि की जा रही है आर इसके साथ ही उसमें लगभग 10 गुणा वृद्धि की गई है और (कुछ राज्यों में) और पात्रता की आयु में भी कमी की गई है, इस तरह से दोनों प्रकार से वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि लोकतान्त्रिक भारत में कल्याणवाद के अंतर्गत जीवन को नई लीज प्राप्त हो रही है जिसमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी न कि किसी प्रकार की कमी आएगी।

9.8 शब्दावली

समाज सेवा (Social Services): समाज सेवाएँ वे सेवाएँ होती हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत या समुदायों के संरक्षण और समाज कल्याण कार्यों का विस्तार करना, यह सामाजिक संविधियों के द्वारा हो सकता है अथवा फिर समाज कार्यों के माध्यम से पूरे हो सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा (Social Security): सामाजिक सुरक्षा एक विशिष्ट शब्दावली है, इसका अर्थ सरकारी संरक्षण करना है जो लोग अपनी आय शक्ति को नश्ट कर चुके हैं या हो चुकी है क्योंकि वे विकलांग वृद्धावस्था, बेरोजगारी या परिवार का जो मुख्य अर्जन करने वाला, कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी है।

आपदा राहत (Disaster Relief): आपदा राहत का अर्थ हैं नकद राशि या वस्तु के रूप में किसी व्यक्ति की सहायता व सहयोग करना क्योंकि वह उत्तरजीवितता के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने से वंचित हो गया है, आपदा के कारण जैसे कि बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात या फिर इसी तरह का कोई भयंकर विध्वंस हो गया है जिसमें वह पीड़ित हो गये हैं।

9.9 संदर्भ लेख

Bose, A.B. (1987). *Encyclopaedia of Social Work, Ministry of Welfare.* New Delhi, India: Government of India.

Friedlander, W. (1967). *Introduction to Social Welfare*. New Delhi, India: Prentice-Hall.

Gore, M.S. & Khadelkar, M. (1975). *Quarter Century of Welfare in India*. Bombay, India: Asia Publishing House.

Government of India. (2018). India Year Book. New Delhi, India: Publications Division.

Government of India. (1951). First Five Year Plan, Planning Commission, New Delhi.

Heywood, A. (2005). *Key Concepts in Politics.* New York, India: Macmillan.

Vasey, W. (1958). Government and Social Welfare. New York, USA: Rinehart.

United Nations. (1970). *Social Welfare Planning in the context of National Development Plans.* New York, India: UN Publications.

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - समाज कल्याण की संकल्पना
   - राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में समाज कल्याण योजना
   - समाज कल्याण का महत्व
2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - परिवार केन्द्रित दृष्टिकोण
   - अन्तिम परिप्रेक्ष्य
   - मिश्रित–अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण
   - संस्थागत दृष्टिकोण

बोध प्रश्न 2

1) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - समाज कल्याण का दृष्टिकोण
   - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समाज कल्याण नीतियाँ
   - अन्य पिछड़े वर्गों के लिए समाज कल्याण नीतियाँ
2) आपके उत्तर में निम्न को सम्मिलित होना चाहिएः
   - एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services - ICDS)
   - किशोर बालिकाओं (11–18 वर्ष तक) के लिए पोषणात्ममक कार्यक्रम
   - बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग
   - घरेलू अत्याचार से महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम